प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.10.2020

अन्तर्जनपदीय लुटेरे गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 03 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिल, 02 अदद तमंचा व कारतूस, एवं लूट के 21170 रूपये बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी टीम व थाना चिरैयाकोट पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 02.11.2020 को सायंकाल लगभग 19:15 बजे जरिये मुखबिर की सूचना पर रामनवल डिग्री कालेज तिराहा सिरसा के पास से तीन शातिर अपराधी (लुटेरे) पंकज यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी मजखनी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी, राशिद असारी पुत्र इरफान असांरी निवासी खरगजेपुर पीपरीडीह थाना सरायलखंसी, देवेन्द्र यादव पुत्र धर्मदेव यादव निवासी मजखनी पीपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से लूट/चोरी दो मोटरसाइकिल, दो अदद तमंचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व लूट के 21170 रूपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 261/20 धारा 379,392,411,420,467,468,471,120बी भादवि0 व 3/25 आयुद्य अधिनियम, मु0अ0सं0 262,263/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि–

दिनांक 01.10.2020 को वाराणसी से पिपरीडीह के लिये ओला बुक कराये थे, इस दौरान रात्रि लगभग 10 बजे थाना चिरैयाकोट अकबरपुर नदी पुलिया के पास उक्त ओला चार पहिया वाहन (होंडा अमेज) के ड्राइवर को मारपीट कर घायल करते हुये ओला लेकर भागे थे कि कुछ दूर जाने पर ओला गाड़ी में जीपीएस लगे होने के कारण एकाएक बंद हो गयी जिस पर वाहन वहीं छोड़कर भाग गये थे, जिसके सम्बन्ध मे वाहन चालक सूरज कुमार पुत्र हरिनाथ की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 235/20 धारा 393 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत था। उक्त घटना में हम तीनों के अलावा शिशुपाल यादव उर्फ सूरज पुत्र रवीन्द्र यादव निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर भी शामिल था।

दिनांक 23–09–2020 को थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्र्तगत बहादुरपुर रेलवे क्रासिंग के पास बैंक रुपये निकालकर जा रहे पूरन चौहान निवासी पटनई बुजुर्ग थाना दोहरीघाट से एक लाख 20 हजार की लूट किये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना दोहरीघाट में मु0अ0सं0 430/20 धारा 392 भादवि अभियोग पंजीकृत है। इस घटना में उपरोक्त गिरफ्तारशुदा पंकज यादव व उसके अन्य दो साथी शिशुपाल एवं निलेश उर्फ गोपी शर्मा पुत्र लालजी शर्मा निवासी काझा थाना रानीपुर भी शामिल था।

दिनांक 23.03.2020 को थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्र्तगत बबुआपुर से बृजेश यादव की मोटरसाईकिल (बुलेट) चोरी किये थे जिसके सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 145/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। दिनांक 24.01.2020 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्र्तगत ग्राम सरौंदा से सूपर स्प्लेंडर (यूपी 54 एई 9397) चोरी किये थे जिसके सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट पर मु0अ0सं0 14/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा इन दोनों घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर दोनों घटनाओं में चोरी हुयी बुलेट मो0सा0 व सूपर स्प्लेंडर मो0सा0 बरामद की गयी है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. **पंकज यादव** पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी मजखनी पिपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ।
2. **राशिद असांरी** पुत्र इरफान असांरी निवासी खरगजेपुर पीपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ।
3. **देवेन्द्र यादव** पुत्र धर्मदेव यादव निवासी मजखनी पीपरीडीह थाना सरायलखंसी मऊ।

अपराधिका इतिहास **पंकज यादव** –

1. मु0अ0सं0 14/20 धारा 379 भादवि थाना चिरैयाकोट।

SOCIAL MEDIA CELL MAU

2. मु0अ0सं0 145/20 धारा 379 भादवि थाना सरायलखंसी।

3. मु0अ0सं0 430/20 धारा 392 भादवि थाना दोहरीघाट।

4. मु0अ0सं0 235/20 धारा 393 भादवि0 थाना चिरैयाकोट।

5. मु0अ0सं0 261/20 धारा 379,392,411,420,467,468,471,120बी भादवि0 व 3/25 आयुद्य अधिनियम थाना चिरैयाकोट।

6. मु0अ0सं0 262/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0।

7. मु0अ0सं0 593/17 धारा 379,411,414,419,420 भादवि थाना कोतवाली।

8. मु0अ0सं0 621/17 धारा 379,411,414,419,420 भादवि थाना कोतवाली।

अपराधिक इतिहास **राशिद असांरी** –

1. मु0अ0सं0 145/20 धारा 379 भादवि थाना सरायलखंसी।

2. मु0अ0सं0 235/20 धारा 393 भादवि0 थाना चिरैयाकोट।

3. मु0अ0सं0 261/20 धारा 379,392,411,420,467,468,471,120बी भादवि0 व 3/25 आयुद्य अधिनियम थाना चिरैयाकोट।

4. मु0अ0सं0 263/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0।

अपराधिक इतिहास **देवेन्द्र यादव** –

1. मु0अ0सं0 235/20 धारा 393 भादवि0 थाना चिरैयाकोट।

2. मु0अ0सं0 261/20 धारा 379,392,411,420,467,468,471,120बी भादवि0 व 3/25 आयुद्य अधिनियम थाना चिरैयाकोट।

<u>फरार अभियुक्तगण–</u>

1. शिशुपाल यादव उर्फ सूरज पुत्र रवीन्द्र यादव निवासी नखतपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

2. निलेश उर्फ गोपी शर्मा पुत्र लालजी शर्मा निवासी काझा थाना रानीपुर मऊ।

3. हिमांशू उर्फ गोविंद यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की बुलेट क्लासिक चेंचिस नं0 ME3U3S5F2LA817862 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 145/20 धारा 379 भादवि थाना सरायलखंसी)।

2. चोरी की सूपर स्प्लेंडर यूपी 54 एई 9397 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 14/20 धारा 379 भादवि थाना चिरैयाकोट)

3. लूट के 21 हजार 170 रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 430/20 धारा 392 भादवि थाना दोहरीघाट)।

4. 02 अदद तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।

<u>गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–</u>

1– निरीक्षक **श्री अविनाश सिंह प्रभारी एसओजी जनपद मऊ।**

2– उ0नि0 श्री अमित मिश्रा।

3– आरक्षी संजीव सिंह।

4– आरक्षी सुशील यादव।

5– आरक्षी रितेश राय।

6– आरक्षी विवेक पाण्डेय।

7– मुख्य आरक्षी जवाहर सरोज।

8– आरक्षी चालक नागेन्द्र सिंह **एसओजी टीम मऊ।**

9– विवेक सिंह **सर्विलांस सेल मऊ।**

श्री रुपेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष चिरैयाकोट, उ0नि0 राजन कुमार, का0 रवि मौर्या, का0 अमन विश्वकर्मा, का अरुण भारती, का0 अमित पटेल व का0 चालक अजीत सिंह थाना चिरैयाकोट।

SOCIAL MEDIA CELL MAU

आज दिनांक 03.11.2020 को यातायात माह नवम्बर–2020 के क्रम में प्रभारी यातायात संतोष कुमार यादव, एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, का0 प्रवीण कुमार, होम गार्ड अनिल कुमार टीम के साथ बाल निकेतन तिराहे पर ई–रिक्सा चालको/टेम्पो चालको के साथ संगोष्ठी की गयी जिसमे चालको परिचालको को यातायात नियमो व संकेतो के बारे मे जानकारी प्रदान की गयी व यातायात नियम लिखे हैण्डबिल वितरित किये गये टेम्पो/ई–रिक्शा चालको को बताया गया कि वह अपने साथ सभी प्रकार के वैध प्रपत्र लेकर चले जैसे रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश लेकर चले तथा कोविड–19 के नियमो का पालन करे ।

इसी क्रम मे बाल निकेतन, मिर्जाहादिपुरा, भीटी चौक पर यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको/स्वामियो के विरूद्ध प्रभारी यातायात संतोष कुमार यादव मय हमराह एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, का0 प्रवीण कुमार, होम गार्ड अनिल कुमार के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाकर कुल 95 वाहनो का चालान किया गया। जिसमे विना हेलमेट के 40 वाहन, सीट बेल्ट–21 वाहन, गलत नम्बर प्लेट पर 15 वाहन, बिना डी0एल0 के 19 वाहन तथा कुल 17 हजार 700 रू0 का सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

SOCIAL MEEDIA CELL MAU